बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञाप सं0–1/पा0मे0–12/2015– 641(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/06/2017

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1) दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–298(1) दिनांक–04.03.2016 द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में भव्या श्री पारा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, खेमनीचक मोड़, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को निम्नांकित 4 (चार) विषयों में उनके सम्मुख अंकित सीटों के साथ, दिनांक–31.03.2019 तक के लिए, पूर्णतः अस्थायी तौर पर निम्नांकित शर्त्तों के साथ पारा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है–

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन	50 (पचास)
2	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट	50 (पचास)
3	डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन	45 (पैंतालिस)
4	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर	60 (साठ)

2– स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन भव्या श्री पारा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, खेमनीचक मोड़, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना के द्वारा किया जायेगा।

3– सचिव, भव्या श्री पारा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, खेमनीचक मोड़, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि संस्थान में कार्यरत कर्मियों के वेतन के भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा। वर्णित शपथ पत्र के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में संस्थान की मान्यता तात्कालिक प्रभाव से हमेशा के लिए समाप्त कर दी जायेगी।

4– सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम्/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

5– उपर्युक्त अस्थायी अनुमति की अवधि के अन्तर्गत संस्थान को अनुमति के नवीकरण हेतु नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अनुमति के नवीकरण/अवधि विस्तार के पश्चात् ही आगामी सत्र में संस्थान द्वारा नामांकन लिया जा सकेगा।

6– बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम–5(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000/–(रुपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः

7– संस्थान द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित हरेक कमियों को अनुक्रमिक वर्ष में दूर करना अनिवार्य होगा।

8– भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार के द्वारा संस्थान की मान्यता वापस ले ली जाएगी।

9– सरकार द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13.6.17

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1 / पा0मे0–12 / 2015– 641(1) / स्वा0, पटना, दिनांक– 13 / 06 / 2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सी0डी0 कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भव्या श्री पारा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, खेमनीचक मोड़, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.6.17

सरकार के संयुक्त सचिव